परम चैतन्य सर्वज्ञ (भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता) है, जबकि जीवात्मा की चेतना विस्मरणशील है। जब-जब जीव अपने यथार्थ स्वरूप को भुला बैठता है, तब-तब उसे श्रीकृष्ण के उपदेश से सत्-शिक्षा और बोध की प्राप्ति होती है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भगवान् श्रीकृष्ण जीवात्मा के समान विस्मरणशील नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो उनके द्वारा दी गई भगवद्गीता की शिक्षा व्यर्थ ही होती।

विस्तार भेद से आत्मा दो प्रकार के हैं—अणु-आत्मा एवं विभु-आत्मा। कठोपनिषद् (१.२.२०) में भी यह प्रमाणित है:

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्।
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः।।

''परमात्मा एवं अणु-आत्मा, दोनों शरीर रूपी वृक्ष पर जीव के हृदय में हैं।'' सम्पूर्ण विषय-वासनाओं और शोक से मुक्त पुरुष ही भगवत्कृपा से आत्मा की महिमा को हृदयंगम कर सकता है। श्रीकृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा अगले अध्यायों में कहा गया है। दूसरी ओर, अर्जुन उस अणु-आत्मा के समान है, जो अपने स्वरूप को भूल बैठता है। अतएव उसके लिए भगवान् श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि (सद्गुरु) से प्रबोध प्राप्त करने की नितान्त आवश्यकता है।

3.2

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्।।२१।।

वेद=जानता है; **अविनाशिनम्**=अविनाशी; **नित्यम्**=नित्य; **यः**=जो; **एनम्**=इस आत्मा को; **अजम्**=अजन्मा; **अव्ययम्**=निर्विकार; **कथम्**=किंस प्रकार; **सः**=वह; **पुरुषः**=व्यक्ति; **पार्थ**=हे पार्थ (अर्जुन); **कम्**=किसको; **घातयति**=मरवाता है; **हन्ति**=मारता है; **कम्**=किसको।

अनुवाद

हे पार्थ! जो आत्मा को नित्य अविनाशी, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किस प्रकार किसी को मार सकता है अथवा मरवा सकता है।।२१।।

तात्पर्य

प्रत्येक पदार्थ की अपनी समुचित उपयोगिता होती है। पूर्ण ज्ञानी की यह विशेषता है कि वह देशकाल के अनुसार पदार्थों का यथोचित उपयोग करना जानता है। हिंसा की भी उपयुक्तता है; परन्तु उसका उचित उपयोग ज्ञानी पर निर्भर करता है। हत्यारे को प्राणदण्ड देने वाले न्यायाधीश को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्याय-संहिता के अनुसार ही वह किसी की हिंसा का विधान करता है। मानवमात्र के धर्म-शास्त्र 'मनुसंहिता' में कथन है कि हत्यारे को प्राणदण्ड देना उचित है, जिससे पुनर्जन्म में वह उस महान् पापकर्म का फल भोगने को बाध्य न हो। हत्यारे को प्राणदण्ड की राजाज्ञा वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। इसी